तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज ओगड़राम प्रजापति, यश विला सर्वोदय नगर रेलवे फाटक के पास फुलाद मार्ग सोजत रोड़ तहसील सोजत, जिला पाली (राज.) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :– 76/2024 जीसीएमएस नं. :– 2024/139 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.09.2024	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई । 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 20.06.2024 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली से चाही गई थी परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./188/2024/960 दिनांक 05.09.2024 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सोजत से संबंधित होने के कारण आरटीआई की धारा 6(3) के तहत उनके कार्यालय के पत्रांक 666 दिनांक 25.06.2024 के लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सोजत को निर्धारित समयावधि में हस्तांतरण करते हुए वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया है व उपखण्ड अधिकारी सोजत ने अपने पत्रांक 1439 दिनांक 01.07.2024 द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली को अवगत करवाया कि अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक 1438 दिनांक 01.07.2024 द्वारा वांछित सूचना के संबंध में सूचित कर दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह रेस्पोडेंट के जवाब से संतुष्ट है। 5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। 6. निर्णय आज दिनांक **09.09.2024** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। **(एल.एन. मंत्री)** प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली	

Scanned with ACE Scanner